### न्यायालय:— व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 बैहर के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.) (पीठासीन अधिकारी:—सिराज अली)

<u>व्यवहार वाद क्रमांक-79 ए/2012</u> <u>संस्थापन दिनांक-03.07.2012</u>

1—चमरलाल उम्र 40 वर्ष, पिता गेन्दलाल जाति अहीर, निवासी—ग्राम मजगावं, तहसील परसवाड़ा, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

2—अमरलाल उम्र 37 वर्ष, पिता गेन्दलाल जाति अहीर, निवासी—ग्राम मजगावं, तहसील परसवाड़ा, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

3—धरमलाल उम्र 30 वर्ष, पिता गेन्दलाल जाति अहीर, निवासी—ग्राम मजगावं, तहसील परसवाड़ा, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

4—सुक्करबाई उम्र 65 वर्ष, पित गेन्दलाल जाति अहीर, निवासी—ग्राम मजगावं, तहसील परसवाड़ा, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

### \_ \_ \_ \_ <del>\_ \_ \_ \_ \_ <u>वा</u>दीगण</del>

#### विरुद्ध

- 1—ओझीलाल उम्र 60 वर्ष, पिता खुशीयाल जाति पंवार, निवासी—ग्राम मजगावं, तहसील परसवाड़ा, जिला—बालाघाट (म.प्र.)
- 2—परषोत्तम उम्र 40 वर्ष, पिता ओझीलाल जाति पंवार, निवासी—ग्राम मजगावं, तहसील परसवाड़ा, जिला—बालाघाट (म.प्र.)
- 3—जानकीप्रसाद उम्र 38 वर्ष, पिता ओझीलाल जाति पंवार, निवासी—ग्राम मजगावं, तहसील प्रसवाड़ा, जिला—बालाघाट (म.प्र.)
- 4—सन्तोष उम्र 35 वर्ष, पिता ओझीलाल जाति पंवार, निवासी—ग्राम मजगावं, तहसील परसवाड़ा, जिला—बालाघाट (म.प्र.)
- 5—मध्य प्रदेश राज्य तर्फे कलेक्टर बालाघाट, जिला—बालाघाट (म.प्र.) — — — — — — — <u>प्रतिवादीगण</u>

# -:// <u>निर्णय</u> //:-(आज दिनांक- 28/01/2015 को घोषित)

- 1— वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह व्यवहार वाद मौजा मजगांव प.ह.नं. 27, रा.नि.मं. मजगांव, तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर 103/04 रकबा 1.50 एकड़ भूमिं (जिसे आगे विवादित भूमि से संबोधित किया जावेगा) में से 0.50 डिसमिल भूमि का कब्जा प्रतिवादीगण से दिलाए जाने एवं उक्त विवादित भूमि पर हस्तक्षेप करने से रोकने हेतु स्थाई निषोधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है।
- 2— प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक—1 की भूमि आपस में लगी हुई है।
- 3— वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण के स्वत्व एवं आधिपत्य की विवादित भूमि के अ,ब,स,द भू—भाग पर प्रतिवादीगण के द्वारा अनाधिकृत रूप से हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दिए जाने पर वादीगण ने तहसीलदार परसवाड़ा के माध्यम से भूमि का सीमांकन किये जाने हेतु आवेदन दिया था, जिसमें तहसीलदार के आदेशानुसार दिनांक 30.05.12 को हल्का पटवारी ने मौके पर जाकर विवादित भूमि का सीमांकन कर विवादित भूमि में से रकवा 0.50 एकड़ भूमि पर प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा पाया था। वादीगण ने विवादित भूमि को कृषि कार्य योग्य बनाने हेतु सुधार का कार्य करवाया तथा दिनांक 27.06.12 को प्रतिवादीगण ने उक्त विवादित भूमि अवैध रूप से काश्त करने का प्रयास करने पर व कब्जा करने की धमकी देने पर वादीगण के द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध पुलिस थाना बैहर में रिपोर्ट दर्ज कराई। वादीगण ने विवादित भूमि के 50 डिसमिल भूमि का कब्जा प्रतिवादीगण से दिलाए जाने तथा विवादित भूमि पर हस्तक्षेप करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है।
- 4— प्रतिवादी क्रमांक—1 से 4 ने स्वीकृत तथ्य को छोड़कर वादपत्र के संपूर्ण अभिवचन से इंकार करते हुए लिखित कथन में यह अभिवचन किया है कि वादीगण ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर विवादित भूमि एवं खसरा नंबर 134/4 की सरकारी भूमि, जो राजस्व अभिलेखों में छोटे झाड़ का जंगल व घास मद में दर्ज होकर

शासन द्वारा चराई के लिए मुकर्रर की गई है, को अवैध रूप से अपने नाम पर दर्ज करवा लिया है। विवादित भूमि वादीगण की खानदानी भूमि नहीं है। विवादित भूमि की सीमांकन कार्यवाही प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में करवाकर प्रतिवादी कमांक—1 के द्वारा लगभग 48 वर्ष पूर्व क्रय की गई भूमि के 50 डिसमिल भू—भाग की भूमि वादीगण ने अपने खाते की भूमि होना अवैध रूप से दर्शित किया है। प्रतिवादी कमांक—1 के पिता खुशीयाल पंवार के द्वारा खसरा नंबर—111 व 121 की भूमि दिनांक 6.02. 1964 को पंजीयन विकय पत्र के माध्यम से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। जिसके पश्चात् प्रतिवादी कमांक—1 के पिता के समय से ही उक्त भूमि पर प्रतिवादी कमांक—1 कब्जा होने की जानकारी रही है। वादीगण की तथाकथित भूमि पर पूर्व से ही प्रतिवादीगण का कब्जा चला आ रहा है तथा वादीगण का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं रहा है। अतएव वादीगण का वाद सव्यय निरस्त किया जावे।

5— प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक—5 एकपक्षीय रहे है तथा उसकी ओर से लिखित कथन पेश नहीं किया गया है।

6— उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किये गये, जिनके निष्कर्ष उनके समक्ष निम्नानुसार अंकित है

क्रं.	वाद—प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या मौजा मजगांव प.ह.नं. 27 तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट स्थित खसरा नं. 103/4 रकबा 0.607 हेक्टेअर में से 0.50 एकड़ भूमि पर वादीगण के आधिपत्य में प्रतिवादी क्रमांक 1 से 4 के द्वारा हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है ?	प्रमाणित
2	क्या उक्त विवादित भूमि में प्रतिवादीगण ने 0.50 डिसमील भूमि पर अवैध रूप से कब्ज़ा कर लिया है ?	' प्रमाणित
3	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की अंतिम कंडिका अनुसार

# —:: <u>सकारण निष्कर्ष</u> ::— वादप्रश्न क्रमांक—1 एवं 2 का निराकरण

7— दोनों वादप्रश्नों का निराकरण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है। यह साबित करने का भार वादीगण पर है कि उनके आधिपत्य की विवादित भूमि में प्रतिवादीगण ने 50 डिसमिल भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है और विवादित भूमि पर हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है। वादीगण ने अपने पक्ष समर्थन में विवादित भूमि का खसरा फार्म वर्ष 2011—12 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श डी—1 पेश की है, जिसमें विवादित भूमि पर संयुक्त रूप से वादीगण का नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज होना प्रकट होता है। वादीगण की विवादित भूमि एवं खसरा नंबर 134/4 की भूमि पर नायब तहसीलदार परसवाड़ा के आदेश से राजस्व निरीक्षक परसवाड़ा के द्वारा की गई सीमांकन कार्यवाही के संबंध में प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी—2, पंचनामा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी—3, फील्ड बुक की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी—4 व नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी—5 पेश की गई है। बादीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त सीमांकन कार्यवाही के दस्तोवज से यह प्रकट होता है कि उनकी स्वत्व व आधिपत्य वाली विवादित भूमि में से 0.202 हेक्टेअर अर्थात 50 डिसमिल भूमि पर प्रतिवादी ओझीलाल का कब्जा पाया गया है।

8— वादी चमरलाल (वा.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में अभिवचन के अनुरूप कथन किये हैं तथा प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसे सीमांकन के समय ही राजस्व निरीक्षक ने बता दिया था कि उसकी 50 डिसमिल भूमि ओझीलाल के कब्जे में हैं, उसने वादपत्र में 50 डिसमिल भूमि ओझीलाल के कब्जे में होने की बात नहीं लिखाई। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि प्रतिवादीगण ने उनकी विवादित भूमि में से 50 डिसमिल भूमि पर जबरन कब्जा करके नहीं रखा है, इस कारण वादपत्र में उक्त बात अंकित नहीं कराई है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसके पिता जी को शासकीय भूमि मिली थी तथा विवादित भूमि खानदानी भूमि नहीं है। साक्षी का स्वतः कथन है कि विवादित भूमि उसकी पैतृक भूमि है। इस साक्षी के कथन में प्रतिवादी पक्ष की ओर से इस तथ्य का खण्डन नहीं किया गया है कि विवादित भूमि के 50 डिसमिल भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक—1 का कब्जा नहीं है।

9— वादीगण की ओर से प्रस्तुत महत्वपूर्ण साक्षी राजस्व निरीक्षक चैतराम (वा.सा.3) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि उसने नायब तहसीलदार परसवाड़ा के आदेश पर आवेदक चमरलाल पिता गेंदलाल के आवेदन के आधार पर दिनांक 30.05. 12 को उभयपक्ष व ग्रामवासियों की उपस्थित में खसरा नंबर 103/4 व 134/4 रकबा कमशः 0.607 हेक्टेअर व 0.202 हेक्टेअर की सीमांकन की कार्यवाही किया था। उसने सीमांकन के आधार पर विवादित भूमि के 0.202 हेक्टेअर भूमि पर सीमावर्ती कृषक ओझीलाल का कब्जा पाया था। उसके द्वारा तैयार पंचनामा प्रदर्श पी—3, मूल प्रतिवेदन प्रदर्श पी—2 और नक्शा प्रदर्श पी—4 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा तैयार नक्शें में ओझीलाल द्वारा विवादित भूमि पर अवैध कब्जा किये गए क्षेत्र को लाल स्याही से दर्शित किया गया है। इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में प्रतिवादी पक्ष की ओर से उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। साक्षी ने उसके द्वारा की गई

सीमांकन कार्यवाही को विधिवत् रूप से तहसीलदार के आदेशानुसार किये जाने और सीमांकन कार्यवाही व उसके पश्चात् तैयार प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार प्रतिवादी ओझीलाल का वादीगण की स्वत्व व आधिपत्य की विवादित भूमि के 0.50 डिसमिल भूमि पर कब्जा पाया जाने की पुष्टि की है।

प्रतिवादीगण की ओर से अपने समर्थन में राजस्व निरीक्षक जगदीश प्रसाद सिंगौर (प्र.सा.4) की साक्ष्य कराई गई है। इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में तहसीलदार परसवाड़ा के आदेश के पालन में दिनांक 26.06.12 को उभयपक्ष व ग्रामवासियों की उपस्थिति में खसरा नंबर 111, 121 रकबा क्रमशः 0.142, 2.804 हेकटेअर भूमि पर सीमांकन कार्यवाही किया जाना प्रकट किया है। साक्षी ने कथन किया है कि उसने सीमांकन में प्रतिवादीगण की भूमि में कुल 50 डिसमिल भूमि पर अनावेदक का कब्जा होना पाया था। उसके द्वारा तैयार सीमांकन प्रतिवेदन प्रदर्श डी-1 पंचनामा प्रदर्श डी-2, फिल्ड बुक प्रदर्श डी-3 एवं तैयार नजरी नक्शा प्रदर्श डी-4 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि सीमांकन का कार्यकाल 15 अक्टूबर से 15 जून तक होता है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा सीमांकन दिनांक 26.06.12 को कार्यकाल के बाहर किया गया है। साक्षी का स्वतः कथन किया है कि यदि बारिश नहीं होती तो सीमांकन किया जा सकता है, ऐसा कलेक्टर साहब का आदेश रहता है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने कलेक्टर के आदेश को संलग्न नहीं किया है। इस प्रकार साक्षी ने सीमांकन कार्यवाही के लिए नियत विधिक अवधि के पश्चात् सीमांकन कार्यवाही कर उसका स्पष्टीकरण नहीं पेश किया है और न ही उक्त के संबंध में कलेक्टर के कथित आदेश को प्रस्तुत किया है, जिस कारण उसके द्वारा की गई सीमांकन कार्यवाही विधिवत् रूप से निष्पादित किया जाना प्रकट नहीं होता है।

11— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने तैयार पंचनामा में 50 डिसमिल भूमि पर अनावेदक का कब्जा होना उल्लेखित नहीं किया है। साक्षी के द्वारा सीमांकन कार्यवाही के दौरान तैयार पंचनामा प्रदर्श डी—2, फिल्ड बुक प्रदर्श डी—3 एवं तैयार नजरी नक्शा प्रदर्श डी—4 एवं प्रतिवेदन प्रदर्श डी—1 में इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि प्रतिवादी ओझीलाल के आधिपत्य की भूमि पर कथित रूप से वादी ने 50 डिसमिल या किसी भाग पर जबरन आधिपत्य कर लिया है, किन्तु उक्त साक्षी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में कथित रूप से सीमांकन में प्रतिवादी की भूमि में कुल 50 डिसमिल भूमि पर अनावेदक का कब्जा होना पाए जाने का कथन किया है, जिससे उसके द्वारा की गई कथित सीमांकन कार्यवाही एवं संपूर्ण साक्ष्य अविश्वसनीय प्रतीत होती है। साक्षी ने दस्तावेजी साक्ष्य से हटकर अपने न्यायालयीन कथन में नए तथ्यों को समावेश कर असत्य रूप से साक्ष्य पेश की है। साक्षी के द्वारा

निष्पादित कथित सीमांकन कार्यवाही से मात्र यह तथ्य प्रकट होता है कि प्रतिवादीगण की भूमि पर उनका आधिपत्य है तथा वादी पक्ष की ओर से किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया है। साक्षी की सीमांकन रिपोर्ट से वादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत सीमांकन कार्यवाही व प्रतिवेदन का किसी प्रकार से खण्डन नहीं होता है।

प्रतिवादी ओझीलाल (प्र.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि विवादित भूमि पर यदि उसका कब्जा पाया जाता है तो वादीगण की जानकारी में विगत 50 वर्षो से प्रतिकूल कब्जे के अनुसार वादीगण का अवधि बाह्य हो जाना प्रकट किया है। उक्त कथन से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा विवादित भूमि के 50 डिसमिल भूमि पर का कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादीगण के अभिवचन एवं प्रस्तुत साक्ष्य से यह तथ्य प्रकट होता है कि प्रतिवादीगण के द्वारा वाद में मुख्य बचाव का आधार यह पेश किया है कि वादीगण की शासकीय मद या घास वाली भूमि होने से उसे विवादित भूमि पर स्वत्व प्राप्त नहीं है, जबिक वादीगण ने राजस्व अभिलेख व दस्तावेजी साक्ष्य पेश कर विवादित भूमि पर स्वत्व प्राप्त होना प्रमाणित किया है। इसके अलावा प्रतिवादीगण ने वादीगण की जानकारी में विगत 50 वर्षों से प्रतिकूल कब्जे के अनुसार वादीगण का अवधि बाह्य हो जाना प्रकट किया है, किन्तु इसके संबंध में प्रतिवादीगण ने यह स्पष्ट अभिवचन नहीं किया है और न ही साक्ष्य पेश की है कि प्रतिवादी पक्ष का विवादित भूमि पर वादीगण की जानकारी किस दिनांक को, किस प्रकार से विवादित भूमि के 50 डिसमिल भूमि पर प्रतिकूल रूप से आधिपत्य हुआ। वास्तव में विरोधी आधिपत्य के संबंध में स्पष्ट अभिवचन व साक्ष्य के अभाव में प्रतिवादी क्रमांक-1 का विवादित भूमि के 50 डिसमिल भूमि पर विरोधी आधिपत्य स्थापित होना प्रमाणित नहीं होता है और न ही उक्त कारण से वादी का वाद परिसीमा अवधि से बाधित होना प्रकट होता है।

वादीगण ने अपने अभिवचन में पश्चातवर्ती अभिवचन जोड़कर विवादित 13-भूमि के 50 डिसमिल भूमि पर प्रतिवादी कमांक-1 के द्वारा अवैध कब्जा प्राप्त होने की जानकारी होने के आधार पर रिक्त आधिपत्य की मांग की है। वादीगण ने दिनांक 30. 05.12 को हुए सीमांकन कार्यवाही के समय प्रतिवादी ओझीलाल के विवादित भूमि के 50 डिसमिल भूमि पर अवैध कब्जा होने की जानकारी होना प्रकट किया है। अतएव उक्त दिनांक 30.05.12 के पश्चात् से वादीगण को विवादित भूमि के 50 डिसमिल भूमि का रिक्त आधिपत्य के अनुतोष हेतु वाद कारण उत्पन्न होना माना जा सकता है। ऐसी दशा में प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण का वाद परिसीमा अवधि के बाहर होने बाबत् ली गई आपत्ति निराधार होना प्रकट होती है।

उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि 14-प्रतिवादी क्रमांक-1 का वादीगण के संयुक्त स्वत्व व आधिपत्य की विवादित भूमि के

50 डिसमिल भूमि पर अवैध रूप से आधिपत्य है, जिसे वादीगण, प्रतिवादी क्रमांक 1 से रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने के हकदार है। प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य से यह तथ्य भी प्रकट होता है कि वादीगण के आधिपत्य वाली विवादित भूमि के 50 डिसमिल भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक—1 से 4 के द्वारा हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है। इस कारण प्रतिवादी क्रमांक—1 से 4 के विरूद्ध वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार हैं। अतएव वादप्रश्न क्रमांक 1 व 2 "प्रमाणित" के रूप मे निराकृत किये जाते हैं।

#### <u>सहायता एवं व्यय</u>

- 15— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि वादीगण ने अपना वाद प्रमाणित किया है। अतएव वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वाद में निम्नानुसार आज्ञप्ति पारित की जाती है:—
  - (1) वादीगण के स्वत्व व आधिपत्य की मौजा मजगांव प.ह.नं. 27 तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट स्थित खसरा नं. 103/4 रकबा 0.607 हेक्टेअर में से 0.50 एकड़ भूमि, जिसे वादपत्र में अ,ब,स,द वाले भू—भाग से दर्शित किया है, का प्रतिवादी क्रमांक—1 से 4 के द्वारा वादीगण को रिक्त आधिपत्य प्रदान किया जावे।
  - (2) प्रतिवादी क्रमांक—1 से 4 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे उक्त विवादित भूमि पर वादीगण के आधिपत्य में स्वयं अथवा अन्य के माध्यम से विधि की सम्यक् प्रक्रिया अपनाए बगैर किसी प्रकार से हस्तक्षेप न करें।
  - (2) प्रतिवादी क्रमांक—1 से 4 अपने साथ वादीगण का भी वादव्यय वहन करेंगे तथा अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार देय होगी। उपरोक्तानुसार आज्ञप्ति तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर के
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2,
बैहर

(सिराज अली) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर